राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटिड

केन्द्रीय राज्य फार्मः हिसार
Mob. 95180 66400

संःसी.एस.एफ./6–16/ख/कृषि/2018/ दिनांक 20–08–2018

निविदा/ खुली बोली सूचना

सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, 10 कि0मी0, सिरसा रोड़, हिसार पर खरीफ 2018 के दौरान बोई गई निम्न फसलों को काटकर इकट्ठा करना, झुकाई व थ्रैशिंग करने हेतु निविदाएं नीचे दी गई तिथियों को अपरान्ह **2.30** बजे तक आमंत्रित की जाती है । खुली बोली उसी दिन 3.00 बजे होगी । प्रत्येक बोलीदाता को निविदा में भाग लेने के लिये रुपये 20,000/– का डी0डी0 **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटिड, हिसार के नाम** बनवाकर जमा कराना होगा तथा लोट आंबटित होने पर दो दिन तक धरोहर राशि के रूप में प्रत्येक फसल व प्रति लाट के लिये रुपये 5,000/– का डी0डी0 **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटिड, हिसार के नाम** बनवाकर जमा करवाने होगें । असफल बोलीदाता की धरोहर राशी चैक के रुप में लौटा दी जायेगी । फसल का क्षेत्र घटाया या बढ़ाया जा सकता है । लाटों की संख्या व अन्य शर्ते बोली से पहले इस कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस व हमारी वैब साईट www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती है । यदि एक तिथि को निविदाएं असफल रही तो अगली निष्चित तिथि को दोबारा निविदाएं ली जायेगी । फसल का कुल एरिया व कार्य निम्न प्रकार है ।

क्र स	**कार्य का विवरण**	**कुल एरिया एकड़ में**	**निष्चित तिथि**
1.	कपास की चुगाई करना	327.5	**07-9-2018 शुक्रवार**
2.	भिन्डी काटकर इकट्ठा करना व कम्बाईन/थ्रेशर में झुकाई करना	140.5	
3.	मूंग उपरोक्त कार्य	1327.5	**14-9-2018 शुक्रवार**
4.	उरद उपरोक्त कार्य	111.5	
5.	लेबिया उपरोक्त कार्य	5.0	
5.	गवार काटकर इकट्ठा करना, कम्बाईन/थ्रेशर में झुकाई व थ्रैशिंग करना	909.5	**22-9-2018 शनिवार**
6.	बाजरा काटकर इकट्ठा करना व अपने थ्रेशर से दाना निकालकर फार्म के वाहन में डालकर विनोईग सैटर पर पहुंचाना।	375.0	**28-9-2018 शुक्रवार**
7.	तिल काटकर छोटे बंडल बनाकर खेत में इकट्ठा करके सुखा कर दो बार हाथ से हिलाकर साफ दाना फार्म को देना ।	15.5	

प्रंबधक उत्पादन
उप महा प्रबंधक

वितरण
(फार्म)

केन्द्रीय राज्य फार्म : हिसार

फार्म पर खरीफ 2018 के अन्तर्गत बोई गई फसलों को काटकर इकट्ठा करने, कम्बाईन /थ्रैशर में झुकाई व थ्रैशिंग करने के लिये नियम व शर्ते

दिनांक 07-9-2018

प्रत्येक बोलीदाता को बोली में भाग लेने के लिये रुपये 20,000/- का डी0डी0 **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटिड, हिसार के नाम** बनवाकर जमा कराना होगा तथा लोट आंबटित होने पर तीन दिन तक धरोहर राशि के रूप में प्रत्येक फसल व प्रति लाट के लिये रुपये 5,000/- का डी0डी0 **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटिड, हिसार के नाम** बनवाकर फार्म के खजांची के पास जमा करवाने होगें जो कि असफल बोलीदाता को बोली समाप्ति पर एक सप्ताह में चैक/RTGS के रुप में लौटा दिये जायेंगे । यदि किसी ठेकेदार के नाम एक लोट छोड़ा जाता है तो भी धरोहर राशि कार्य संतोषजनक पूरा होने पर ही वापिस की जायेगी ।

अन्य शर्ते

1. a) **कपास की चुगाई** का रेट प्रति किवंटल की दर से देना होगा । कपास चुगाई का कार्य 15 दिसम्बर तक करना होगा ।
   b) कपास की चुगाई चक प्रभारी के दिशा निर्देशानुसार करनी होगी। कपास में पत्ती वगैरह नहीं होनी चाहिए व कपास की चुगाई साफ-सुथरी होनी चाहिए । कपास मे नमी नही होनी चाहिए यदि नमी पाई गयी तो ठेकेदार को कपास सुखाकर देनी होगी ।
   c) खलिहान पर पड़ी कपास को सुखाने व ढ़कने की जिम्मेवारी स्वयं ठेकेदार की होगी तथा कपास को नालों एवंम खालों मे नही रखना होगा ।
   d) अन्य फसलों को हाथ से काटकर इकट्ठा करना एवं कम्बाईन या थ्रेशर में झुकाई करना होगा तथा खलिहान साफ करना होगा । कटाई के बाद एक एकड़ एरिया में 2-3 ढ़ेर लगाने होंगे । यदि ठेकेदार अपने थ्रैशर से थ्रैशिंग करता है तो उसके लिये प्रति एकड़ दर या फार्म की कम्बाईन से थ्रैशिंग करता है तो उसके लिये दर अलग -2 देनी होगी ।
2. प्रक्षेत्र का अंकित फांसलिया क्षेत्रफल अंतिम रूप से सही माना जायेगा। यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह बोली देने से पूर्व अपनी शंका का समाधान करा सकता है । बोली के बाद किसी का कोई तर्क मान्य नहीं होगा ।
3. मजदूरों का प्रबन्ध ठेकेदार को करना होगा व उन्हें कार्य स्थल पर लाने व ले जाने की जिम्मेवारी स्वयं ठेकेदार की होगी ।
4. प्रक्षेत्र में बोलीदाता या उसके आदमियों द्वारा कोई गलत कार्य या चोरी आदि किए जाने पर ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
5. ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिक ठेकेदार के दायित्व पर कार्य करेंगे व उनके हर प्रकार के लाभ हानि की जिम्मेवारी स्वयं ठेकेदार की होगी ।
6. यदि ठेकेदार कार्य शुरु नहीं करता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी और यदि थोड़े बहुत कार्य करने के बाद असफल हो जाता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी और थोड़े बहुत किये गये कार्य का पैसा नहीं दिया जायेगा ।
7. ठेकेदार द्वारा लगाए गए मजदूरों के वेतन के भुगतान की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी । प्रत्येक ठेकेदार को प्रत्येक बिल पर प्रमाणित करना होगा कि उसके द्वारा लगाए गये मजदूरों का भुगतान कर दिया गया है । फार्म इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
8. श्रम अधिनियम के सभी उपबन्धों की पालना करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। किसी अधिनियम का उल्लघंन की सूरत में फार्म जिम्मेदार नहीं होगा ।
9. ठेकेदार कोई भी अवांछनीय/ संदिग्द मजदूर नहीं लगायेगा व कार्य फार्म के निर्देशानुसार ही करेगा ।
10. फार्म पर खड़ी फसल को ठेकेदार या उसके आदमियों द्वारा नुकसान पहुंचाने पर निदेशक महोदय द्वारा गठित कमेटी नुकसान का जायजा लेगी तथा कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार फार्म को जो हानि होगी उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी । ठेकेदार को समिति का हिस्सा बनने की अनुमति होगी ।

11. ठेकेदार को भुगतान उसके बैंक खाते मे किया जायेगा ठेकेदार को स्थाई खाता संख्या की कापी, IFSC No. व पैन न0 की कापी लेखा विभाग को देनी होगी तभी उसके बिलों का भुगतान होगा तथा आयकर अधिनियम के अनुसार कर टैक्स की कटौती बिल में से की जाएगी ।
12. आवश्यकतानुसार कार्य का क्षेत्र कम या ज्यादा किया जा सकता है ।
13. ठेकेदार अपना कार्य 8.00 से 5.00 बजे के बीच ही करना सुनिष्चित करेगा ।
14. उप महा प्रबंधक फार्म, केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार द्वारा बिना कोई कारण बताए बोली को स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है।
15. प्रत्येक ठेकेदार को लॉट आंबटित होने के एक सप्ताह के अन्दर 10 रूपये का स्टाम्प पेपर प्रति लॉट के हिसाब से इस कार्यालय में जमा कराने होगें और कार्य शुरू करने से पहले उस पर समझौता करना होगा तभी उसके बिल पास होंगे । इसका व्यय स्वयं ठेकेदार को करना होगा ।
16. खण्ड प्रभारी/चक प्रभारी सें आदेश मिलने पर ठेकेदार को 2-3 दिन के अन्दर लेबर लगाकर दिये गये क्षेत्र की फसल की कटाई शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण करनी होगी । यदि कटाई-गहाई विलम्ब होने से फार्म को नुकसान हुआ तो इसके लिये स्वयं ठेकेदार जिम्मेदार होगा ।

आरबीट्रेशन

इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटिड, केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार तथा ठेकेदार के बीच किसी प्रकार के वाद-विवाद की स्थिति में दोनों पक्ष पारस्परिक विचार विमर्श से सुलझाने का प्रयास करेंगे तथा विवाद नहीं सुलझने की स्थिति में मामले का समाधान / निपटारा Arbitration & Conciliation Act 1996 की प्रक्रिया के तहत किया जायेगा तथा एकल विवाचक (Arbitration) की नियुक्ति सक्षम अधिकारी/ अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक सीएमडी, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटिड द्वारा इसी अधिनियम में दिये गये प्रावधान के अनुसार होगी । विवाचक का फैसला अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा । किसी भी विवाद में पक्षकारों के लिये यह आवश्यक होगा कि न्यायालय की शरण लेने से पहले विवाचक (Arbitration) के माध्यम से अपने विवादों का समाधान कराये । विवाचक (Arbitration) का स्थान हिसार होगा तथा न्यायालय क्षेत्राधिकारी के उद्देश्य से केवल हिसार स्थित न्यायालय का क्षेत्राधिकार ही पक्षकारों पर लागू होगा ।

प्रबंधक (उत्पादन)
कृते उप महा प्रबंधक (फार्म)

मैने उपरोक्त ठेके की सभी नियम व शर्ते पढ़ व समझ ली है तथा मै ठेका आंबटित होने की स्थिति में उक्त लिखित नियम व शर्तो की अनुपालना करने को तैयार हूं ।

ठेकेदारों के हस्ताक्षर